

वधानसभा में छत्तीसगढ़ वनियोग वधियक-2023 पारति

चर्चा में क्यों?

23 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ वधानसभा में वनियोग वधियक-2023 पारति कर दिया गया है।

प्रमुख बदि

- छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी वर्ष 2018 में 03 लाख 27 हजार 106 करोड़ रुपए था, जो 2023 में बढ़कर 05 लाख 09 हजार 43 करोड़ रुपए अनुमानति है। मार्च 2020 से नरिंतर 02 वर्ष तक कोवडि-19 आपदा के कारण आर्थकि गतविधियिँ मंद होने के बावजूद राज्य शासन की नीतियिँ के कारण अर्थव्यवस्था के आकार में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- राज्य की जीएसडीपी में वृद्धिवर्ष 2022-23 में 8 प्रतिशत अनुमानति है, जो अखलि भारतीय जीडीपी की अनुमानति वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक तथा स्थिर भाव पर वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र, औद्योगकि क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में राज्य की अनुमानति वकिास दर राष्ट्रीय स्तर से अधिक है।
- कृषि क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर 5.93 प्रतिशत रही, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 3.50 प्रतिशत, औद्योगकि क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर 7.83 प्रतिशत, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 4.10 प्रतिशत है। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर 9.21 प्रतिशत और राष्ट्रीय वृद्धि दर 9.10 प्रतिशत रही।
- राज्य के स्वयं के करों का राजस्व वर्ष 2018-19 में 21 हजार 427 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपए अनुमानति (77 प्रतिशत वृद्धि) है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वधानसभा में कसिनोँ के हति में बड़ी घोषणा करते हुए प्रति एकड़ 20 क्वटिल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा भी की।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि एक अपरैल से आवासहीनोँ, उज्ज्वला गैस योजना और शौचालय के हतिग्राहियिँ का सर्वे कराया जाएगा। आवास योजना में जतिने भी पात्र हतिग्राही होंगे, उनहें करमबद्ध रूप से आवास दिया जाएगा।
- वर्ष 2018-19 में पूंजीगत व्यय रु. 08 हजार 903 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2023-24 हेतु 18 हजार 660 करोड़ रुपए अनुमानति (2 गुणा से अधिक वृद्धि) है।
- राज्य सरकार ने इस वर्ष बाज़ार से कोई ऋण नहीं लिया है। गत वर्ष 2021-22 में भी राज्य द्वारा मात्र 865 करोड़ का शुद्ध ऋण लिया गया था। वर्ष 2022-23 में जनवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ का ऋणभार जीएसडीपी का 17.9 प्रतिशत, जो 15वें वक्ति आयोग द्वारा नरिधारति सीमा 25 प्रतिशत से बहुत कम है।
- वर्ष 2023-24 छत्तीसगढ़ द्वारा ऋणों के ब्याज भुगतान पर राजस्व प्राप्तियिँ का 6.5 प्रतिशत, जो 15वें वक्ति आयोग द्वारा नरिधारति सीमा 10 प्रतिशत से बहुत कम है।